

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2025—कार्तिक, 29, शक 1947

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2025

फा. क्र. 56-3-2023—निर्वा.नामा.—6068.— भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है:—

1. सं. 429-म.प्र.-2023-(1), दिनांक 20 नवम्बर, 2025
2. No. 429-MP-2023 (1), Dated 20th November, 2025

संजय कुमार श्रीवास्तव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2025–29 कार्तिक, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 429–म.प्र.–2023(1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 (ख) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 429–म.प्र.–2023 (1), दिनांक 7 जुलाई, 2023, समय–समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है ;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

सारणी

विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
68—सिरमौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जवा
197— गंधवानी (अ.ज.जा.)	संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर, जिला धार
200—धरमपुरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग पीथमपुर

आदेश से,
हस्ता./—
(बिनोद कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

New Delhi, Dated 20th November, 2025–29 Kartika, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No.–429–MP–2023 (1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 429-MP-2023(1), dated 7th July, 2023, as amended from time to time, relating to the appointment of Electoral Registration Officer of Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh;

In Column (2) of the Table appended to the said Notification, in place of existing entries against the name of Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the following entries :—

TABLE

No.& Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
68-Sirmour	Sub Divisional Officer (Revenue), Jawa
197-Gandhwani (ST)	Joint/ Deputy Collector, District Dhar
200-Dharampuri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pithampur

By order,
Sd.-/
(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.